

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 1/ 2015, 2/2015, 3/2015, 1/2018, 2/2018, 3/2018
4/2018 एवं 5/2018 जिला जयपुर ।

अपील संख्या 1/ 2015 जिला जयपुर

1. कानाराम पुत्र भैरूराम (फौत)

- 1/1 औम प्रकाश पुत्र कानाराम
- 1/2 प्रभू दयाल पुत्र कानाराम
- 1/3 मोहन लाल पुत्र कानाराम
- 1/4 छोदू राम पुत्र कानाराम
- 1/5 रामलाल पुत्र कानाराम
- 1/6 श्रवण पुत्र कानाराम

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भम्भौरी, तहसील व जिला जयपुर ।

अपीलान्द्रस

बनाम

1. जगदीश पुत्र बालू (फौत)

- 1/1 शान्ति देवी पत्नी जगदीश
- 1/2 गजानन्द पुत्र जगदीश
- 1/3 गिरधारी पुत्र जगदीश
- 1/4 रामगोपाल पुत्र जगदीश
- 1/5 राजेश पुत्र जगदीश

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा शेखावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

1/6 राजू देवी पत्नी सुरेश कुमार शर्मा पुत्री जगदीश जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीपुर तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

1/7 मोहनी देवी पत्नी राजेश कुमार शर्मा पुत्री जगदीश जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ढाणी ठाकुरा वाली चक बावडी, गेल इण्डिया के पास, मंशारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर ।

2. मोहरी देवी पत्नी सुवा लाल , जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी सबलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

3. बिदामी देवी पत्नी सोहन लाल , जाति बागडा ब्राह्मण निवासी सिंगवासिया की ढाणी, तहसील चौमू , जिला जयपुर ।

4. फूली देवी पत्नी जगदीश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

रेस्पोंडेन्द्रस

अपील विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 अपील संख्या 352/2005 उनवानी जगदीश बनाम कानाराम व अन्य जिसके द्वारा तहसीलदार आमेर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 65 ग्राम जयसिंहपुरा दिनांक 27.5.2004 को निरस्त किया गया ।

द्वि
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या 2/2015 जिला जयपुर

1. मोहन लाल पुत्र कानाराम जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भम्भौरी, तहसील व जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, (शेखावतान), तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अपीलान्त

बनाम

1. जगदीश पुत्र बालू (फौत)
1/1 शान्ति देवी पत्नी जगदीश
1/2 गजानन्द पुत्र जगदीश
1/3 गिरधारी पुत्र जगदीश
1/4 रामगोपाल पुत्र जगदीश
1/5 राजेश पुत्र जगदीश
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा शेखावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
- 1/6 राजू देवी पत्नी सुरेश कुमार शर्मा पुत्री जगदीश जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीपुर तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
- 1/7 मोहनी देवी पत्नी राजेश कुमार शर्मा पुत्री जगदीश जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ढाणी ठाकुरा वाली चक बावडी, गेल इण्डिया के पास, मंशारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर ।
2. मोहरी देवी पत्नी सुवा लाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी सबलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
3. बिदामी देवी पत्नी सोहन लाल, जाति बागडा ब्राह्मण निवासी सिंगवासिया की ढाणी, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
4. फूली देवी पत्नी जगदीश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

रेस्पॉन्डेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 अपील संख्या 354/2005 उनवानी जगदीश बनाम मोहन व अन्य जिसके द्वारा तहसीलदार आमेर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 64 ग्राम जयसिंहपुरा दिनांक 27.5.2004 को निरस्त किया गया ।

अपील संख्या 3/2015 जिला जयपुर

मोहन लाल पुत्र कानाराम जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भम्भौरी, तहसील व जिला जयपुर ।

अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती फूली देवी पुत्री बालू राम पत्नि जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

2. श्रीमती मोहरी पुत्री बालूराम पत्नि सुवालाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी सबलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 अपील संख्या 4/2007 उनवानी फूली देवी बनाम मोहन लाल अन्य जिसके द्वारा तहसीलदार आमेर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 64 ग्रम जयसिंहपुरा दिनांक 27.5.2004 को निरस्त किया गया ।

अपील संख्या 1/2018 जिला जयपुर

1. राजेन्द्र पुत्र सेडूराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्रम जयसिंहपुरा (शेखावतान), तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. कमल कुमार सेडूराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्रम जयसिंहपुरा (शेखावतान), तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश पुत्र बालू (फौत)
- 1/1 शान्ति देवी पत्नी जगदीश
- 1/2 गजानन्द पुत्र जगदीश
- 1/3 गिरधारी पुत्र जगदीश
- 1/4 रामगोपाल पुत्र जगदीश
- 1/5 राजेश पुत्र जगदीश

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्रम जयसिंहपुरा शेखावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

- 1/6 राजू देवी पत्नी सुरेश कुमार शर्मा, पुत्री जगदीश जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्रम श्रीपुर तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
- 1/7 मोहनी देवी पत्नी राजेश कुमार शर्मा पुत्री जगदीश जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ढाणी ठाकुरा वाली चक बावडी, गेल इण्डिया के पास, मंशारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर ।

2. मोहरी देवी पत्नी सुवा लाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी सबलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
3. बिदामी देवी पत्नी सोहन लाल, जाति बागडा ब्राह्मण निवासी सिंगवासिया की ढाणी, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
4. फूली देवी पत्नी जगदीश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्रम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 अपील संख्या 355/2005 उनवानी जगदीश बनाम राजेन्द्र व अन्य जिसके द्वारा तहसीलदार आमेर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 62 ग्रम जयसिंहपुरा दिनांक 27.5.2004 को निरस्त किया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त सभागाय
जयपुर

अपील संख्या 2/2018 जिला जयपुर

1. कानाराम मृतक दौराने अपील
- 1/1 औम प्रकाश
- 1/2 प्रभू दयाल
- 1/3 मोहन लाल
- 1/4 छोदू राम
- 1/5 रामलाल
- 1/6 श्रवण

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भम्मौरी, तहसील व जिला जयपुर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती फूली देवी पुत्री बालू राम पत्नि जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती मोहरी पुत्री बालूराम पत्नि सुवालाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी सबलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

रेस्पॉडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 अपील संख्या 7/2007 उनवानी फूली देवी बनाम काना राम अन्य जिसके द्वारा तहसीलदार आमेर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 65 ग्राम जयसिंहपुरा दिनांक 27.5.2004 को निरस्त किया गया ।

अपील संख्या 3/2018 जिला जयपुर

1. रामेश्वर पुत्र महादेव
 2. सीताराम पुत्र महादेव
- समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा (शेखावतान), तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश पुत्र बालू (फौत)
 - 1/1 शान्ति देवी पत्नी जगदीश
 - 1/2 गजानन्द पुत्र जगदीश
 - 1/3 गिरधारी पुत्र जगदीश
 - 1/4 रामगोपाल पुत्र जगदीश
 - 1/5 राजेश पुत्र जगदीश
- समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा शेखावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
- 1/6 राजू देवी पत्नी सुरेश कुमार शर्मा पुत्री जगदीश जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीपुर तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

- 1/7 मोहनी देवी पत्नी राजेश कुमार शर्मा पुत्री जगदीश जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ढाणी ठाकुरा वाली चक बायडी, गेल इण्डिया के पास, मंशारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर ।
2. मोहरी देवी पत्नी सुवा लाल , जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी सबलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
3. बिदामी देवी पत्नी सोहन लाल , जाति बागडा ब्राह्मण निवासी सिंगवासिया की ढाणी, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
4. फूली देवी पत्नी जगदीश, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

रेस्पॉडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 अपील संख्या 351/2005 उनवानी जगदीश बनाम रामेश्वर व अन्य जिसके द्वारा तहसीलदार आमेर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 61 ग्राम जयसिंहपुरा दिनांक 27.5.2004 को निरस्त किया गया ।

अपील संख्या 4/2018 जिला जयपुर

1. राजेन्द्र कुमार
2. कमल कुमार
पुत्रान सेडूराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा (शेखावतान), तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती फूली देवी पुत्री बालू राम पत्नि जगदीश प्रसाद, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती मोहरी पुत्री बालूराम पत्नि सुवालाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी सबलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

रेस्पॉडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 अपील संख्या 5/2007 उनवानी फूली देवी बनाम राजेन्द्र व अन्य जिसके द्वारा तहसीलदार आमेर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 62 ग्राम जयसिंहपुरा दिनांक 27.5.2004 को निरस्त किया गया ।

अपील संख्या 5/2018 जिला जयपुर

1. सीताराम
2. रामेश्वर
पुत्रान महादेव समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा (शेखावतान), तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती फूली देवी पुत्री बालू राम पत्नि जगदीश प्रसाद जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती मोहरी पुत्री बालूराम पत्नि सुवालाल जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी सबलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

रेस्पॉन्डेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 अपील संख्या 6/2007 उनवानी फूली देवी बनाम सीताराम व अन्य जिसके द्वारा तहसीलदार आमेर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 61 ग्राम जयसिंहपुरा दिनांक 27.5.2004 को निरस्त किया गया ।

उपस्थित -

- 1 वकील अपीलान्त श्री घीसा लाल कुमावत
- 2 वकील रेस्पॉन्डेन्ट श्री हिमांशु सौगानी एवं श्री राजीव शर्मा

निर्णय

दिनांक -12.6.2019

यह आठों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. कलक्टर (तृतीय) जयपुर के निर्णय दिनांक 8.5.2008 के खिलाफ न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई थी । प्रकरण फूली देवी बनाम मोहन लाल, जगदीश बनाम कानाराम, एवं जगदीश बनाम मोहन लाल (तीन) के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने आदेश दिनांक 10.4.2014 पारित कर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर को मुन्तकिल करने के आदेश दिये गये तथा प्रकरण जगदीश बनाम रामेश्वर, फूली देवी बनाम कानाराम, जगदीश बनाम राजेन्द्र कुमार, फूली देवी बनाम राजेन्द्र कुमार एवं फूली देवी बनाम सीताराम (पौच) के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने आदेश दिनांक 3.12.2014 पारित कर पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण हस्ब: ख्वाहिश प्रार्थी मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्फल होने से खारिज किया गया । न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष जगदीश ने प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर प्रकरण अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष सुनवाई हेतु भेजने के निवेदन पर सम्भागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 29.11.2017 द्वारा उपरोक्त पौचों प्रकरण भी न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर को स्थानान्तरित किये गये हैं तथा उपरोक्त तीन प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 10.4.2014 द्वारा इस न्यायालय को मुन्तकिल होने पर आदेश दिनांक 2.2.2015 से स्थानान्तरित हुये हैं ।

चित्रा
रिक्त...सम्भागीय
आयुक्त
जयपुर

प्रकरण इस न्यायालय को स्थानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किये गये । आठों प्रकरणों के तथ्य विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले विन्दु समान होने के कारण इन आठों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति सभी पत्रावलियों पर रखी जावे । प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि ग्राम मौजा जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खाता संख्या 38 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 0.47 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकीन चाही, खसरा नम्बर 300 रकबा 1.84 हैक्टेयर चाही तृतीय, खसरा नम्बर 302 रकबा 0.272 चाही तृतीय, खसरा नम्बर 427 रकबा 2.94 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 426/506 रकबा 0.18 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 430/508 रकबा 0.18 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 271/591 रकबा 0.28 बारानी द्वितीय, कुल किता 8 कुल रकबा 6.17 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 39 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 0.67 हैक्टेयर चाही प्रथम एवं खाता संख्या 40 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 2.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 3.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 132/570 रकबा 0.23 हैक्टेयर, कुल किता 3, कुल रकबा 5.41 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 41 के अन्तर्गत आराजी खसरा नं. 288 रकबा 0.70 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा नं. 289 रकबा 0.53 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा नं. 305 रकबा 0.24 हैक्टेयर चाही प्रथम, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.32 हैक्टेयर चाही प्रथम, कुल किता 4, कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 42 के अन्तर्गत आराजी खसरा नं. 0.22 हैक्टेयर चाही प्रथम एवं खसरा नं. 260 रकबा 0.37 हैक्टेयर चाही प्रथम, कुल किता 2, कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर है । उक्त भूमि का खातेदार गोमाराम था जिसके फौत होने के बाद गोमाराम के लडके धन्ना राम व बालू राम दोनो बराबर बराबर सम्पत्ति के मालिक हुये । बालूराम पुत्र गोमाराम फौत हो चुका है जिसके दो लडके जगदीश व रामसहाय एवं तीन लडकियों बिदामी देवी, फूली देवी एवं मोहरी देवी है । धन्ना पुत्र गोमाराम अविवाहित नाऔलाद दिनांक 12.1.1995 को फौत हुआ तथा धन्ना के भाई बालूराम का लडका रामसहाय पुत्र बालू राम, धन्ना पुत्र गोमाराम से पहले ही फौत हो गया था । धन्ना पुत्र गोमाराम के फौत होने पर तहसीलदार आमेर ने आदेश दिनांक 8.11.2000 द्वारा धन्ना पुत्र गोमा राम की आराजियात धन्ना के भाई बालूराम के पुत्र जगदीश व बालूराम के दूसरे पुत्र रामसहाय जो फौत हो चुका है, की पत्नि मु. कौशलया के नाम हिस्सा 1/2-1/2 घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये । तहसीलदार आमेर के उक्त आदेश दिनांक 8.11.2000 के खिलाफ धन्ना के भाई बालूराम की पुत्री बिदामी देवी पुत्री बालूराम ने न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने आदेश दिनांक 6.12.2000 द्वारा रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये थे, लेकिन तहसीलदार आमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 8.11.2000 के क्रम में नामांतरकरण संख्या 20 जगदीश पुत्र बालू राम एवं बालूराम के दूसरे पुत्र

दिनांक
सम्भागीय
जयपुर

रामसहाय की पत्नि कौशल्या पत्नि रामसहाय के पक्ष में दिनांक 22.11.2000 को तस्दीक कर दिया ।

विवादित भूमि के संबंध में स्थगन होने के बावजूद भी कौशल्या पत्नि रामसहाय द्वारा विवादित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का बेचान पृथक पृथक चार विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2000 से अपीलान्ट्स कर दिया एवं विक्रय पत्रों के आधार पर दिनांक 27.5.2004 को तहसीलदार आमेर द्वारा नामांतरकरण संख्या 61 रामेश्वर , सीताराम पुत्रान महादेव, नामांतरकरण संख्या 62 राजेन्द्र, कमल कुमार पुत्रान सेडूराम, नामांतरकरण संख्या 64 मोहन लाल पुत्र कानाराम एवं नामांतरकरण संख्या 65 कानाराम पुत्र भैरूराम के नाम तस्दीक किये गये ।

विवादित भूमि के संबंध फूली देवी पुत्री बालूराम द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू , जिला जयपुर में एक वाद उनवानी फूली देवी बनाम कौशल्या वगैहरा पेश किया तथा वाद के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 20.6.2001 को अस्थाई निषेधाज्ञा से भूमि विक्रय नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया, किन्तु इसके बावजूद भी तहसीलदार ने कौशल्या देवी द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर नामांतरकरण क्रेताओं के नाम स्वीकृत कर दिये ।

प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 61, 62, 64 एवं 65 दिनांक 27.5.2004 से असंतुष्ट होकर जगदीश पुत्र बालूराम एवं फूली देवी पुत्री बालूराम द्वारा पृथक पृथक 8 अपीलें न्यायालय न्यायालय अति. कलक्टर (तृतीय) जयपुर के समक्ष मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.5.2008 के द्वारा अपीलों को अवधि बाधित नहीं मानकर अन्दर मियाद मानते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार करते हुये विवादित भूमि एक हिन्दु अविभाजित परिवार की भूमि में जिसमें पुत्र एवं पुत्रियों को समान अधिकार प्राप्त होने से धन्ना की सम्पत्ति में अपीलान्ट व उसकी बहिनें प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से धन्ना की आराजियात में वारिस होने तथा कौशल्या देवी पत्नी रामसहाय द्वितीय श्रेणी की वारिस है क्योंकि रामसहाय धन्ना से पूर्व ही फौत हो गया था तथा धन्ना के नाऔलाद फौत होने पर उसकी सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कौशल्या को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होकर अपीलार्थी एवं उसकी बहिनों को ही प्राप्त होते है । विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट का वाद विचाराधीन होने तथा बेचान पर प्रतिबन्ध के आदेश होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण की कार्यवाही सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना किया जाना अवैधानिक है । वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था । विवादित भूमि के संबंध में बिदामी देवी की एक रिट पिटीशन भी वर्ष 2003 से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में नामांतरकरण संख्या 20 के विरुद्ध विचाराधीन होने एवं उसमें अपीलान्ट व तहसीलदार पक्षकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण स्वीकार करने से पूर्व न तो अपीलान्ट की सुनवाई की तथा न ही कोई नोटिस जारी किये । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 61, 62, 64 एवं 65

चित्र
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

दिनांक 27.5.2004 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार आमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरणों में पक्षकारान की सुनवाई की जाकर बाद सुनवाई पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

अति. कलक्टर (तृतीय) जयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.5.2008 से व्यथित होकर उसके खिलाफ विवादित भूमि के कंतागण अपीलान्ट्स द्वारा यह पृथक पृथक आठों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार धन्ना की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में तहसीलदार आमेर द्वारा आदेश दिनांक 8.11.2000 पारित कर नामांतरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.2000 जगदीश व कौशल्या के नाम तस्दीक किया था जिसके खिलाफ बिदामी देवी व शांति देवी की चार अपीलें न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 1.11.2002 द्वारा खारिज हो गई थी । सम्भागीय आयुक्त जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 1.11.2002 के खिलाफ बिदामी व शांति की चार अपीलें राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 22.1.2003 व 27.2.2004 द्वारा खारिज को चुकी है । कौशल्या देवी विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार थी जिसने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय पृथक पृथक चार रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा अपीलान्ट्स को किया गया है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर विधिवत कंतागण अपीलान्ट्स के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 61, 62, 64 एवं 65 तस्दीक हो चुके हैं । उनका कहना था कौशल्या देवी के नाम मृतक खातेदार धन्ना की विरासत के नामांतरकरण संख्या 20 के खिलाफ उक्त अपीलें खारिज होने के बावजूद भी कौशल्या देवी द्वारा भूमि के किये गये विक्रय के आधार पर तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ जगदीश पुत्र बालू राम एवं फूली पुत्री बालूराम की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय ने कौशल्या का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार नहीं मानकर सुपिरियर कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों की अवमानना की है तथा सुपिरियर कोर्ट के निर्णयों को गलत करार दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण में जगदीश पुत्र बालू राम व फूली देवी पुत्री बालूराम पक्षकार नहीं थे इसलिये उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ न्यायालय की बिना अनुमति के अपील करने का अधिकार नहीं था । रेस्पोंडेन्ट जगदीश व फूली ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जो कानूनन आवश्यक था । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट की अपील मियाद बाहर थी तथा विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं था ।

दिनांक
प्रतिरिक्त संभागीय
जयपुर

उनका कहना था कि अपीलान्ट्स ने विवादित भूमि रेकार्डेड खातेदार कौशल्या से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय की है तथा अपीलान्ट्स बोनाफाईड केता है । विवादित भूमि के कय के दिन बेचान बाबत किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं था और न ही नामांतरकरण तस्दीक करने के वक्त कोई स्थगन था । उनका कहना था कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की विधिसम्यकता का परीक्षण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक करने के अलावा तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई विकल्प नहीं रहता । विक्रेता कौशल्या का स्वर्गवास भी हो चुका है । उनका कहना था कि यदि नामांतरकरण संख्या 20 निरस्त हो जाता तो पश्चातवर्ती नामांतरकरण स्वतः ही निरस्त हो जाते तथा वाद यदि डिकी हो जाता है तो उसकी अनुपालना में दूसरा नामांतरकरण तस्दीक हो जायेगा । ऐसी स्थिति में प्रकरण में नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने का मामला नहीं बनता । उनका कहना था कि मृतक खातेदार धन्ना की विरासत के संबंध में श्रीमती बिदामी पुत्री बालूराम की एस. बी. सिविल रिट याचिका नं. 1389/2003 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.7.2015 द्वारा निर्णित की जा चुकी है । उनका कहना था कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है, जो मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.5.2008 से रैस्पोंडेन्ट की अपीलें स्वीकार कर नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण पक्षकारान की सुनवाई की जाकर बाद सुनवाई पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार आमेर को रिमाण्ड किये जाने में विधिक त्रुटि की है । अतः आठों अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2008 निरस्त किया जावे । उनके द्वारा आर.आर.डी. 1990 पेज 689, आर.आर.डी. 1971 पेज 25, आर.आर.डी. 1988 पेज 254 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया ।

पित्रा
अतिरिक्त
बिभागीय
बयान

रैस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का मूल खातेदार गोमाराम था जिसे दो लडके धन्ना राम व बालूराम थे । धन्ना राम अविवाहित नाऔलाद फौत हुआ एवं बालूराम के दो पुत्र जदीगश व रामसहाय तथा तीन पुत्रियाँ बिदामी, फूली व मोहरी में से रामसहाय धन्ना के फौत होने से पहले ही फौत हो चुका था । धन्ना के हिस्से की भूमि रामसहाय की पत्नी कौशल्या को प्राप्त करने का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वह द्वितीय श्रेणी की उत्तराधिकार है । धन्ना के नाऔलाद फौत होने पर उसके हिस्से की समस्त भूमि धन्ना के भाई बालूराम के पुत्र रैस्पोंडेन्ट जगदीश व उसकी बहिने बिदामी, फूली व मोहरी देवी को विधिक रूप से प्राप्त होगी । तहसीलदार द्वारा धन्ना की विरासत का नामांतरकरण संख्या 20 जगदीश व

कौशल्या पत्नि रामसहाय के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है, जो कानूनी रूप से शुन्य है। उनका कहना था कि विवादित भूमि के संबंध में नियमित दावा फूली देवी बनाम कौशल्या वगैहरा विचाराधीन था जिसमें धन्ना के विधिक वारिसान रेस्पोंडेन्ट्स के अधिकार तय होने हैं। उक्त दावे में स्थागन आदेश दिनांक 20.6.2001 बाबत विवादित भूमि का विक्रय नहीं करने का था जिसके बावजूद भी तहसीलदार ने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये हैं, जो अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरुद्ध है। उनका कहना था कि सहायक कलक्टर चौमू के न्यायालय में वाद के दौरान किये हैं, जो विधिसम्यक नहीं है जबकि तहसीलदार को नियमित दावे के विचाराधीन था जिसके रहते कौशल्या देवी ने विवादित भूमि का बेचान एवं बेचान के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक किये हैं जबकि न्यायिक रूप से नामांतरकरण की कार्यवाही वाद के निर्णय तक स्थगित रखनी चाहिये थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पक्षकारान में मुकदमेबाजी को बढ़ावा दिया गया है। उनका कहना था कि धन्ना राम का कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के क्लज वन का कोई उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में क्लज-टू के उत्तराधिकारियों को ही उत्तराधिकार प्राप्त होंगे। धन्नाराम के परिपेक्ष्य में जगदीश पुत्र बालूराम भाई के पुत्र की श्रेणी में तथा श्रीमति मोहरी, बिदामी व फूली, भाई की पुत्रियों की श्रेणी में आते हैं और क्लज टू के अनुसार भाई के पुत्र तथा भाई की पुत्रियों को समान उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं, परन्तु कौशल्या की स्थिति भाई के पुत्र की बेवा के रूप में है जिसे उत्तराधिकार में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने अपीलाधीन आदेश द्वारा विवादित भूमि के नाओलाद फौत हुये मृतक खातेदार धन्ना की भूमि में धन्ना के भाई बालूराम के पुत्र जगदीश व उसकी बहिनों को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना है तथा धन्ना के भाई बालूराम के पुत्र रामसहाय की पत्नी कौशल्या को द्वितीय श्रेणी की वारिस होने से धन्ना के नाओलाद फौत होने के कारण धन्ना की सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कौशल्या को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होना मानते हुये एवं बेचान पर प्रतिबन्ध होने से नामांतरकरण की कार्यवाही सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना किया जाना अवैधानिक माना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पोंडेन्ट की अपीलें स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 61, 62, 64 एवं 65 दिनांक 27.5.2004 निरस्त करते हुये प्रकरण पक्षकारान की सुनवाई की जाकर बाद सुनवाई पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार आमेर को रिमाण्ड किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः आठो अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जावे। रेस्पोंडेन्ट जगदीश के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8, आर.आर.डी. 1997 पेज 276, आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 954, आर.आर.डी. 1996 पेज 425, आर.आर.डी. 1996 पेज 435, आर.आर.डी. 1997 पेज 551, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 137, आर.आर.डी. 1998 पेज 319. आर.

विना
अतिरिक्त सनागा
जयपुर

आर.डी. 1997 पेज 287, आर.आर.डी. 1995 पेज 179, आर.आर.डी. 1995 पेज 668, आर.आर.डी. 1980 पेज 664, 1996 (5)एससीसी पेज 618, ए.आई.आर. 1994 एससी पेज 1496, 1993 (4) एससीसी पेज 403, आर.आर.डी. 2003 पेज 415, आर.आर.डी. 1998 पेज 368, आर.आर.डी. 1998 पेज 870, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 816 , आर.आर.टी. 2001 (2) 1236, आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 1213 एवं रेस्पॉडेन्ट फूली देवी के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज 65, आर. आर.डी. 1998 पेज 465, आर.आर.डी. 2003 पेज 243, आर.आर.डी. 1990 पेज 398, आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 1011, आर.आर.डी. 2004 पेज 730, आर.आर.डी. 1992 पेज 598, आर.आर.डी. 1992 पेज 691 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार धन्ना के अविवाहित व नाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत के नामांतरकरण का है । तहसीलदार आमेर द्वारा धन्ना के नाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण मृतक धन्ना के भाई बालूराम के पुत्र जदीश एवं दूसरे पुत्र रामसहाय (फौत) की विधवा पत्नी कौशल्या के नाम तस्दीक किया है जिसके खिलाफ बिदामी पुत्र बालूराम व शांति देवी पत्नि जगदीश प्रसाद की अपीलें न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 1.11.2002 द्वारा खारिज हुई है तथा सम्भागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 1.11.2000 के खिलाफ बिदामी पुत्री बालूराम की दो अपीले राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 22.1.2003 से सारहीन होने पर एडमीशन स्तर पर ही निरस्त की है एवं शांति देवी पत्नी जगदीश की अपीलें राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 27.2.2004 द्वारा सारहीन होने से खारिज की है । धन्ना की भूमि के संबंध में बिदामी पुत्री बालूराम की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1390/2003 निर्णय दिनांक 2.7.2015 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित की जा चुकी है ।

मृतक धन्ना की विरासत के आधार पर कौशल्या पत्नी रामसहाय का नाम राजस्व अभिलेख में आने से कौशल्या द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय अपीलान्ट रामेश्वर, सीताराम पुत्रान महादेव, राजेन्द्र कमल कुमार पुत्रान सेडूराम, मोहन लाल पुत्र कानाराम एवं कानाराम पुत्र भैरूराम को पृथक पृथक चार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2000 से किये जाने पर तहसीलदार आमेर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर क्रेताओं के नाम नामांतरकरण संख्या 61, 62, 64 एवं 65 दिनांक 27.5.2004 को तस्दीक किये हैं , जिनके खिलाफ जगदीश पुत्र बालूराम एवं फूली देवी पुत्री बालूराम की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.5.2008 द्वारा विवादित भूमि एक हिन्दु

द्वि
सतिरिक्त संभागीय

अविभाजित परिवार की भूमि में जिसमें पुत्र एवं पुत्रियों को समान अधिकार प्राप्त होने से धन्ना की सम्पत्ति में अपीलान्ट व उसकी बहिनें प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से धन्ना की आराजियात में वारिस होने तथा कौशल्या देवी पत्नी रामसहाय द्वितीय श्रेणी की वारिस है क्योंकि रामसहाय धन्ना से पूर्व ही फौत हो गया था तथा धन्ना के नाओलाद फौत होने पर उसकी सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कौशल्या को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होकर अपीलार्थी एवं उसकी बहिनों को ही प्राप्त होते हैं। विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट का वाद विचाराधीन होने तथा बेचान पर प्रतिबन्ध के आदेश होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण की कार्यवाही सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना किया जाना अवैधानिक है। वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था। विवादित भूमि के संबंध में बिदामी देवी की एक रिट पिटीशन भी वर्ष 2003 से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में नामांतरकरण संख्या 20 के विरुद्ध विचाराधीन होने एवं उसमें अपीलान्ट व तहसीलदार पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण स्वीकार करने से पूर्व न तो अपीलान्ट की सुनवाई की तथा न ही कोई नोटिस जारी किये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 61, 62, 64 एवं 65 दिनांक 27.5.2004 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार आमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरणों में पक्षकारान की सुनवाई की जाकर बाद सुनवाई पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार गोमाराम के दो पुत्र धन्ना राम व बालूराम थे जिनमें से धन्नाराम अविवाहित नाओलाद फौत हुआ तथा धन्नाराम के भाई बालूराम के जगदीश, रामसहाय पुत्रान एवं बिदामी, फूली, मोहरी पुत्रियों है जिनमें से रामसहाय की मृत्यु धन्ना राम के जीवनकाल में ही हो गई थी इसलिये तहसीलदार ने धन्नाराम की विरासत का नामांतरकरण संख्या 20 दिनांक 22.11.2000 को धन्नाराम के भाई बालूराम के प्रथम पुत्र जगदीश व दूसरे पुत्र रामसहाय (फौत) की पत्नी कौशल्या के नाम तस्दीक कर दिया जबकि धन्नाराम के भाई बालूराम के दो पुत्र जगदीश व रामसहाय के अलावा तीन पुत्रियाँ बिदामी, फूली एवं मोहरी भी थी, जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत धन्नाराम की विधिक उत्तराधिकारी है। चूंकि धन्नाराम की भूमि कौशल्या पत्नी रामसहाय के नाम होने पर कौशल्या ने भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से अपीलान्ट्स रामेश्वर, सीताराम, राजेन्द्र, कमल, मोहन व कानाराम को विक्रय करदी और तहसीलदार ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर केताओं के नाम नामांतरकरण संख्या 61, 62, 64, व 65 दिनांक 27.5.2004 को तस्दीक कर दिये जबकि विवादित भूमि के संबंध में वाद विचाराधीन होने तथा बेचान पर प्रतिबन्ध के आदेश होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा विक्रय पत्रों के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही प्रभावित पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना की है, जो अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है। विधि का यह

चित्र
बतिरिस्त संभागीय
क्यापुन

सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि पक्षकारों के मध्य वाद विचाराधीन हो तो वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही को वाद के अंतिम निर्णय तक स्थगित रखना चाहिये ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकमेबाजी न बड़े । विवादित भूमि के संबंध में बिदामी देवी की एक एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1389/2003 भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में नामांतरकरण संख्या 20 के विरुद्ध विचाराधीन थी जिसमें तहसीलदार भी पक्षकार थे , लेकिन इस तथ्य को भी नजरन्दाज करते हुये तहसीलदार आमेर ने विक्रय पत्रों के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये हैं, जो उचित एवं विधिक नहीं है । कौशल्या पत्नी रामसहाय द्वारा किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर तहसीलदार आमेर द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 61, 62, 64 एवं 65 दिनांक 27.5.2004 के खिलाफ जगदीश पुत्र बालूराम एवं फूली देवी पुत्री बालूराम की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.5.2008 से विवादित भूमि एक हिन्दु अविभाजित परिवार की भूमि में जिसमें पुत्र एवं पुत्रियों को समान अधिकार प्राप्त होने , धन्ना की सम्पत्ति में जगदीश व उसकी बहिनें प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने तथा कौशल्या देवी पत्नी रामसहाय को द्वितीय श्रेणी की वारिस माना है क्योंकि रामसहाय धन्ना से पूर्व ही फौत हो गया था एवं धन्ना के नाऔलाद फौत होने पर उसकी सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कौशल्या को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होकर जगदीश एवं उसकी बहिनों को ही प्राप्त होना माना है । विवादित भूमि के संबंध में वाद विचाराधीन होने तथा बेचान पर प्रतिबन्ध के आदेश होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण की कार्यवाही सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना किया जाना अवैधानिक होना व वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था । विवादित भूमि के संबंध में बिदामी देवी की रिट पिटीशन भी वर्ष 2003 से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में नामांतरकरण संख्या 20 के विरुद्ध विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण स्वीकार करने से पूर्व न तो अपीलान्ट की सुनवाई की तथा न ही अपीलान्ट्स को कोई नोटिस जारी किये । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 61, 62, 64 एवं 65 दिनांक 27.5.2004 निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार आमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरणों में पक्षकारान की सुनवाई की जाकर बाद सुनवाई पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1390/2013 एवं 1389/2003 उनवानी श्रीमती बिदामी बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य में निर्णय दिनांक 2.7.2015 पारित कर दोनों रिट याचिकायें निर्णित की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत नामांतरकरणों के संबंध में उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन आदेश से प्रकरण पक्षकारान की सुनवाई की जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार आमेर को

चिन्ता
स्थगित संख्यागत
रिट

प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हुये अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर (तृतीय) जयपुर दिनांक 8.5.2005 को यथावत रखे जाकर आठों अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य मानते हैं । परिणामस्वरूप आठों अपील अपीलान्त खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अति. सहायक संभागाय आयुक्त
जयपुर